न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 15/2015 (2015/00013)

वादीगण

1. राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल जाति नायक उम्र 41 वर्ष निवासी सीकर जिला सीकर।
 1/1 कमलेश पत्नी राकेश कुमार
 1/2 रोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार
 1/3 रजत कुमार पुत्र राकेश कुमार
 1/4 मौनिका पुत्री राकेश कुमार
 1/5 खुशी पुत्री राकेश कुमार
 वादीगण संख्या 1/4 व 1/5 नाबालिग जरीये कुदरतीवली संरक्षक माता कमलेश कुमार पत्नी राकेश कुमार जाति नायक निवासी सीकर जिला सीकर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नानुराम पुत्र गिगाराम
2. फूलाराम पुत्र गिगाराम
3. आसकी पत्नी जेताराम
4. भंवरलाल पुत्र जेताराम
5. रूपाराम पुत्र जेताराम
6. माधोराम पुत्र जेताराम
7. रूकमा पत्नी मानाराम
8. चम्पालाल पुत्र मानाराम
9. राजूराम पुत्र मानाराम
 समस्त जाति बावरी निवासीयान ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी
10. ललितनारायण पुत्र नारायणलाल जाति बलाई निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार कुचामनसिटी (लेण्ड होल्डर)

दावा इस्तकरार हक व भू विभाजन

अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 14/05/2018

प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 16.04.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम (मौका रिपोर्ट) मंगवाई गई, शामिल मिसल है। वकील वादी ने बहस सुनाई, बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्रत्रावली में बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा के अंतिम डिक्री आदेश फरमावें। वकील प्रतिवादी सं0 10 ने अपनी खातेदारी को अलग कराने के लिये नया वाद पेश करने हेतु निवेदन करते हुये कोई एतराज नहीं किया।

वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.04.2018 एवं संलग्न मौका बंटवारा स्कीम का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री में प्रतिवादी सं0 10 कें संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आने से वाद में इनको कोई अनुतोष नहीं दिया जा रहा है। ये अपनी खातेदारी अलग कराने के लिये न्यायालय में अलग से वाद पेश करने के लिये स्वतत्रं है। मौका रिपोर्ट में प्राथमिक डिक्री अनुसार वादी को ग्राम राणासर के खसरा नं0 68 रकबा 1.50 है0 सम्पूर्ण कब्जे काश्त मे होना बताने से एवं वकुलाय की बहस एवं संलग्न दस्तावेजात व फर्द मौका रिपोर्ट से वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 68 रकबा 1.50 है0 सम्पूर्ण वादी राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल नायक के कायम मुकाम कमलेश पत्नी राकेश कुमार, रोहित कुमार, रजत कुमार पुत्र राकेश कुमार, मौनिका, खुशी पुत्री राकेश कुमार को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। शेष खसरा नम्बरान में वादी का नाम हटाया जाता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 27.04.2018 निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्युटी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 14/05/2018 को टंकण कराकर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर किया गया

(सम्पतसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)